



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Phone No. 0141-2710978

क्रमांक : लेखा एवं वित्त/2022/ 609

दिनांक : 11/7/22

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार कर्मचारी बीमा नियम 1998 की धारा 9, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र संख्या एफ.35-डी/बीमा/व्य एवं प. /2012-13/2360 दिनांक 24.03.2022 एवं वित्त समिति की अनुशंषा 9 दिनांक 28.03.2022 जो सिण्डीकेट प्रस्ताव संख्या 10-1.6 दिनांक 05.05.2022 द्वारा अनुमोदित है, की पालना में राजस्थान सरकार के अनुरूप राज्य बीमा योजना को दिनांक 01.04.2022 से विश्वविद्यालय में लागू किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित अंशदान दरें यथावत् लागू होंगी।

यह आदेश कुलपति के अनुमोदित है।

Sd/-
(डा. होशियार सिंह)
वित्त नियंत्रक एवं
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : लेखा एवं वित्त/2022/ 610-19

दिनांक : 11/7/2022

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को अग्रप्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर को प्रेषित कर लेख है कि इसे विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाईट पर प्रसारित करावें।
4. अध्यक्ष, रूटा/रून्टसा/सहायक कर्मचारी/तकनीकी कर्मचारी संघ, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Raj/Tas
(राजकुमार जैन) 30/06/22
उप-कुलसचिव
लेखा एवं वित्त